अपलोड करवाना है 23/7/18

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःभूमि / एफ.7(घ)(43) / डीएलबी / 16 / जयपुर,दिनांकः

अधिसूचना

यतः निम्नांकित भूमि के अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (घ) (2(g)) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा सिरोही जिले के केशरगंज ग्राम पंचायत, तहसील आबूरोड के खसरा संख्या 91 में ROB on LC-132 at Km 600/1.2 between Abu Road Maval Station at Abu Road District Sirohi के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही करने हेतु उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को कलक्टर की शक्तियां प्रदत्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःभूमि / एफ.7(घ)(43) / डीएलबी / 16 / 408-917 दिनांकः 12/3/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
2. जिला कलक्टर, सिरोही।
3. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत जिला सिरोही।
4. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक के राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
5. कार्यकारी निदेशक, RUIFDCO जयपुर।
6. परियोजना निदशेक, आर.एस.आर.डी.सी. लि., युनिट–पाली।
7. तहसीलदार, आबूरोड जिला सिरोही।
8. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आबूरोड को निर्देशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना की दो स्थानीय समचार पत्रों में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से) करवाने के साथ ही संबंधित पंचायत, नगरपालिका, जिला कलक्टर तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना को उपलब्ध करवावे।
9. विभागीय प्रोग्रामर इस विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

Received Today
23.03.2018

(मुकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner